

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत श्री झुन्नु मल्लिक, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, पुनरहैया, शिवहर सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में (वेतन स्तर-7) को उनके नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :

क्र०	नाम एवं कोटि क्रमांक	गृह जिला	पूर्व पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थल/जिला	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री झुन्नु मल्लिक, 177/2024	पश्चिम चम्पारण	पुनरहैया, शिवहर	मुख्यालय, पटना	प्रशासनिक दृष्टिकोण से।

2. संबंधित आपूर्ति निरीक्षक नव पदस्थापित प्रखंड/स्थान पर अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. श्री मल्लिक द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नये राशन कार्ड के निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन, राशन कार्ड के रद्दीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि, भौतिक सत्यापन आदि से संबंधित कार्यों के अनुश्रवण, क्षेत्रीय कार्यालयों से समन्वय स्थापित करने संबंधी इत्यादि कार्य किया जाएगा।
4. इससे संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।
5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- प्र०3-स्था० (आ०से०)-०४/२०२६ 4901 खाद्य, पटना/दिनांक-10/08/2026
प्रतिलिपि-प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, शिवहर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, शिवहर/अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित आपूर्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- प्र०3-स्था० (आ०से०)-०४/२०२६ 4901 खाद्य, पटना/दिनांक-10/08/2026
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव कोषांग/विशेष सचिव कोषांग/निदेशक-सह-विशेष सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-०१/अवर सचिव, प्रशाखा-०२ एवं ०८ तथा आई०टी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।